चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/1643
दिनांक : 26.07.2019

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

विषय :– पी0आई0एल0 सिविल संख्या 29390 लखनऊ यूनिवर्सिटी बनडालिज्म बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2019 के सम्बन्ध में

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद के संलग्न पत्रांक संख्या एस0टी0/2865–70/2018–19 दिनांक 04.07.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये संलग्न दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें कि यदि आपके महाविद्यालय/संस्थान में ब्लैक लिसटिड छात्र हैं, तो उनकी सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

26-7-19
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. आशुलिपिक प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. प्रवेश समन्वयक, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
4. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता।
5. परीक्षा नियंत्रक, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
6. छात्र कल्याण अधिष्ठाता, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ(संलग्नकों सहित)।
7. कुलानुशासक, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ(संलग्नकों सहित)।

कुलसचिव

फ़ैक्स/महत्वपूर्ण
संख्याः 658/6-पु0-11-19-64एम/2019

1ST-2

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 ।

गृह (पुलिस) अनुभाग- 11

लखनऊः दिनाँकः 17 जून, 2019

विषयः- पी.आई.एल सिविल संख्या- 19390/2018 लखनऊ युनिवर्सिटी वनडालिज्म बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2019 के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि पी.आई.एल सिविल संख्या- 19390/2018 लखनऊ युनिवर्सिटी वनडालिज्म बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2019 द्वारा विश्वविद्यालयों के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन/ जिला प्रशासन स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निम्न दिशा-निर्देश निर्गत दिये गए हैं-

No. 2286/ST(ADM)/19

(1). बाहरी व निष्कासित छात्रों का विश्वविद्यालय परिसर में अनाधिकृत प्रवेश आपराधिक/ अतिचार की श्रेणी में रखते हुए गुण्डा एक्ट / Criminal Law Amendment Act के सुसंगत उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए।

(2). जिला एवं पुलिस प्रशासन तथा विश्वविद्यालय प्रशासन के समन्वय से परिसर का सिक्योरिटी आडिट कर सुरक्षा प्रबंध किये जाए।

(3). धारा-144 का प्रारूप जिला प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन से विचार विमर्श कर निर्धारित किया जाए।

(4). किसी भी राजनैतिक दल के बैनर के अन्तर्गत परिसर में प्रवेश की अनुमति किसी छात्र तथा छात्र समूह को कदापि न दी जाए। अनाधिकृत धरना-प्रदर्शन धारा -144 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित किए जाए।

ADM(E)/J.A.-2

D.M
18/06

1139/ST ADM E
OC/JA-II
S.T.

ADM(E)
18/6/19

2. अतः उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त दिशा -निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक- उपरोक्त</u>
<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, उ0प्र0।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र एस. चौधरी)
विशेष सचिव।

<u>परम आवश्यक</u>

(6)

<u>कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।</u>

पत्रांक 2131 / जे0ए0-2 / [redacted] / 2018.-2019 दिनांक 20.06.,2019

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद ।
2- ~~नगर मजिस्ट्रेट~~/ उप जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद / लौनी / मोदीनगर
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद

प्रभारी अधिकारी (सं0का0)/
कृते जिलाधिकारी,
गाजियाबाद ।

DIOS
कृ0 नि0 आ0
का0 करें।

नगर मजिस्ट्रेट
गाजियाबाद
24/6/19

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गाजियाबाद।

सेवा में,

निदेशक/रजिस्ट्रार/प्राचार्य,
समस्त,इंजी0/मेडिकल/मैनेजमन्ट/बी0एड/डिग्री कालिज/आई0टी0आई0/ पॉलिटेक्निक,
जनपद–गाजियाबाद।

पत्रांक– एस0टी0/ /2018–19 दिनांक– 4-7-19

विषय– पी.आई.एल.सिविल संख्या–19390लखनऊ युनिवर्सिटी वनडालिज्म बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक–28.02.2019 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव,उ0प्र0 शासनादेश संख्या–658/6–पु0–11–19–64 एम/2019 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश द्वारा पी.आई.एल.सिविल संख्या–19390 लखनऊ युनिवर्सिटी वनडालिज्म बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक–28.02.2019 द्वारा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन/जिला प्रशासन स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में जारी शासनादेश को संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त शासनादेश का कड़ाई लागू की जाये।

संलग्न–शासनादेश की प्रति ।

भवदीय,

(रविदत्त)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
गाजियाबाद।

प0सं0– एस0टी0/ 2865-70 /2018–19 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी गाजियाबाद ।
2– उप कुलपति चौ0चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से जारी शासनादेश का अनुपालन कराने का कष्ट करें।
3– जिला समाज कल्याण अधिकारी गाजियाबाद अपने स्तर से भी समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं में लागू करने का कष्ट करें।
4– जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गाजियाबाद अपने स्तर से भी समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं में लागू करने का कष्ट करें।
5– जिला अल्पसंख्याक कल्याण अधिकारी गाजियाबाद अपने स्तर से भी समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं में लागू करने का कष्ट करें।

(रविदत्त)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
गाजियाबाद।